

1049

1048

1041

1060

100

2001

1065 1066

1088

PROPOSED HOTEL

1094
1392

1096

PROJECT:	
PROPOSED LAYOUT AT KHASRA NO. :1067(M) & 1068(M)	
VILLAGE NOORNAGAR, GHAZIABAD	
FOR M/S ASR REALTECH PVT. LTD.	
Akhilesh	
	
OWNER'S SIGN	
TITLE	
SAJRA SUPERIMPOSE PLAN	
THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF ASR REALTECH PVT. LTD AND SHALL NOT BE USED, COPIED OR REPRODUCED WITHOUT THEIR WRITTEN PERMISSION	
DEALT	KAMAL
CHND	Gaurav
SCALE	
1:200	
DRG. NO.	
SB-04	

प्रारूप-घ (संलग्नक-3)

औपबन्धिक (प्रोविजनल) अनापत्ति प्रमाणपत्र

यूआईडी संख्या: UPFS/2023/72392/GZB/GHAZIABAD/4542/CFO

दिनांक: 27-01-2023

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **ASR REALTECH PRIVATE LIMITED** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **KHASRA No. 1168M, 1167M, VILLAGE-NOOR NAGAR, GHAZIABAD** तहसील - **GHAZIABAD** प्लाट एरिया **2568.68 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कर्ड एरिया **9758.48** (वर्गमीटर), ब्लाकों की संख्या **1** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लाक में तलों की संख्या	बैसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
02 BASEMENT GROUND AND 06 FLOOR WITH SERVICE FLOOR	7	2	24.00 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **ASR REALTECH PRIVATE LIMITED** द्वारा किया जायेगा। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का प्राविधान एन०बी०सी० एवं तस्वीरी भारतीय मानक ब्यूरो के आई०एस० के अनुसार किया गया है। इस भवन को औपबन्धिक अनापत्ति प्रमाणपत्र, एन०बी०सी० की अधिभोग श्रेणी **Residential** के अन्तर्गत इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि प्रस्तावित भवन में अधिभोग श्रेणी के अनुसार सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं के मानकों का अनुपालन पूर्ण रूप से किया जायेगा तथा भवन के निर्माण के पश्चात भवन के अधिभोग से पूर्ण अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। ऐसा न करने पर निर्गत प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **ASR REALTECH PRIVATE LIMITED** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

Note : All fire & safety arrangements shall be installed as per the fire and safety rule*Final NOC must be received from fire department before start/occupy the building*Fire & Safety arrangement to be made during the construction work as per the NBC-2016 & In future if any change is required in proposed drawing then resubmit the amended drawing for approval.

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)
(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(RAHUL PAL)

[49CFB804BDA64910CAE4F035187DB1A56889CBDF]

03-02-2023

निर्गत किये जाने का दिनांक : 03-02-2023
स्थान : GHAZIABAD